

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

--:: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक: 30/04/2024

क्रमांक: 226/ आउशि/ संबध्दता/ 2024: सत्र 2024-25 के लिये पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता जारी किये जाने हेतु मार्गदर्शिका में यह प्रावधान किया गया है कि पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में यूजी/पीजी संकाय के पाठ्यक्रमों की प्रथम तीन वर्ष/दो वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने के उपरान्त संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता बनाए रखने हेतु प्रतिवर्ष राशि रूपये 1000/- (एक हजार) प्रति विषय विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन ही जमा करना होगा। प्रवेश पोर्टल पर पाठ्यक्रमों का सत्यापन निरन्तरता शुल्क जमा करने की पुष्टि उपरान्त ही किया जावे। उक्त निरन्तरता शुल्क समय पर जमा न करने की स्थिति में प्रदान की गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना प्रस्तावित होगा।

- विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा।
- सत्र 2024-25 के लिए निरंतरता हेतु विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	समिति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का नाम एवं पता	निरंतरता के मान्य विषय	टीप
1	Maulana Azad Educational, Technical and Vocational Society	Devi Ahilya University, Indore	P122Maulana Azad Institute of Professional Studies, Burhanpur	B. COM – Commerce B. SC. - Chemistry, Life Science, Microbiology	सत्र 2024-25 में पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु निर्धारित तिथि 30/09/2023 तक आवेदन प्रस्तुत न करने पर 25000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए, 15 दिवस में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अर्थदण्ड की राशि जमा करने की शर्त पर पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
2	Shri Prabhat Chandra Kharia Education Society	Devi Ahilya University, Indore	P341 Modern Institute of Professional Sciences, Indore	B. B. A. - Plain, B. COM - Commerce, Commerce with Computer Application	सत्र 2024-25 में पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु निर्धारित तिथि 30/09/2023 तक आवेदन प्रस्तुत न करने पर 25000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए, 15 दिवस में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अर्थदण्ड की राशि जमा करने की शर्त पर पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

3	Nutan Shikshan Samiti	Devi Ahilya University, Indore	INS2864 Tagore Shiksha Mahavidyalaya Indore	B. A. - Economics, English, Sociology, B. B. A. (Hons.) - Plain, B. C. A. - Plain, B. SC. - Chemistry, Mathematics, Physics, B.A. L.L.B. (Honours) - Plain, DIPLOMA - Fashion Designing and Marketing, M. A. - Yoga, M. S. W. - Social Work, M. SC. - Computer, PGDCA - Plain	सत्र 2024-25 में पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु निर्धारित तिथि 30/09/2023 तक आवेदन प्रस्तुत न करने पर 25000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए, 15 दिवस में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अर्थदण्ड की राशि जमा करने की शर्त पर पाठ्यक्रमों की निरंतरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
---	-----------------------	--------------------------------	---	---	--

- विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों को उनके द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों/संकायों का सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित अवधि में निरन्तरता शुल्क जमा करने के फलस्वरूप पूर्व से संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों जिनमें अंतिम वर्ष/उत्तरार्द्ध कक्षाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी हो चुका है, की सत्र 2024-25 की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- संबंधित विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्रों के लिये सम्बद्धता/निरंतरता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से 07 दिवस होगी। अतः सम्बद्धता/निरंतरता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में समयसीमा में प्रस्तुत किया जाये।
- विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाये।
- किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
- अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

पू. क्र. 227/ आउशि/ संबद्धता/ 2024

भोपाल, दिनांक : 30/04/2024

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)।
- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.)।
- संबंधित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय INDORE (म.प्र.)।
- संबंधित कुलसचिव, Devi Ahilya University, Indore (म.प्र.)।
- प्राचार्य, संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, (म.प्र.)।
- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- समस्त संबंधित महाविद्यालयों की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.